न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 28/2012

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 पुखाराम पुत्र रामाजी जाति मेघवाल निवासी पाली दरवाजा, धीनावास रोड़ सोजत सिटी		1 हरिकिशन पुत्र पारसराम 2 ओमप्रकाश पुत्र पारसराम जातिगण प्रजापत (कुम्हार) निवासीगण सोजत सिटी 3 तहसीलदार सोजत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटित भूमि को निरस्त करने बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री महेन्द्र व्यास, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री दिलीपसिंह चारण, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व 2

–: निर्णय :–

दिनांक 27/02/2018

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता को आवंटन हुए भूमि के आवंटन निरस्त कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम बासनी में अपीलाण्ट की खातेदारी कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नमबर 23 रकबा 1.7800 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 21 रकबा 1.0500 हेक्टेयर की भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि के चिपते हुए पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 24 पुराना कदीमी रास्ता स्थित है, जो सोजत से बासनी भदावता से होता हुआ, खारिया सोडा एवं मारवाड जंक्शन जाता है। उक्त रास्ता 100 वर्षो से सार्वजनिक रास्ता है, जिसका उपयोग उपभोग कदीम से समस्त गांवों के लोग करते आ रहे है तथा सोजत जाने हेतु यही एकमात्र रास्ता है तथा अपीलाण्ट पुखाराम के खेतों में आने जाने का यही एकमात्र रास्ता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता पारसराम तहसील कार्यालय सोजत में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर पदस्थापित था, जिसे अनुचित लाभ प्रदान करते हुए राजस्व अधिकारीयों द्वारा खसरा नम्बर 24 रकबा 5.1900 हैक्टेयर में से विधि विरूद्ध रूप से बिना किसी आवंटन के रास्ते की भूमि का आवंटन कर राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता के नाम का इन्द्राज कर दिया। उक्त भूमि पर आवंटी का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा। राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि गै0मु0 गोवा दर्ज है, जिस पर अपीलाण्ट का कोई भी कब्जा काश्त नही होते हुए भी नामान्तरकरण संख्या 136 दिनांक 16.05.1991 को तत्कालीन सरपंच से नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगपालसिंह बनाम पंजाब राज्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए किसी भी रास्ते, गौचर, आगोर, तालाब, नदी, नाला आदि में आवंटन से प्रतिबन्धित माना है तथा ऐसे अतिक्रमणों को हटाने हेतु आदेश पारित किये है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता पारसराम का न तो इस भूमि पर कब्जा काश्त था तथा न ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त रहा। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता एवं स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा आवंटन नियमों की पालना नही की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावे एवं आवंटन को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने खसरा नम्बर 24 को आधार बनाते हुए खसरा नमबर 24 में तथाकथित आवंटन को अपास्त कराने का अनुतोष चाहा है, जबकि प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए, वे दस्तावेज खसरा नमबर 12 से सम्बन्धित है। खसरा नम्बर 24 की भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि थी, जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त था। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि अप्रार्थी द्वारा बेचान की जा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

चुकी है तथा क्रेता को पक्षकार नही बनाया गया है, इस कारण प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 24 में हुए आवंटन को निरस्त कराने का निवेदन किया है, जबकि उक्त तथाकथित आवंटन का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलाण्ट को खसरा नम्बर 12 की भूमि का आवंटन हुआ है, जिसे निरस्त करने का कोई अनुतोष नही चाहा है। इस आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने के कारण खारिज किया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम बासनी भदावता के खसरा नम्बर 24/1 रकबा 1.60 हैक्टेयर की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार जयलाल शर्मा पुत्र जुगराज शर्मा शाकलदीप ब्राहमण, कानसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति चारण के नाम खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 12 रकबा 0.07 हैक्टेयर गै0मु0 नाडा की भूमि ढगलाराम पुत्र लुम्बाराम, रूकमादेवी पत्नि लुम्बाराम, वगैरा की सह खातेदारी भूमि है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के जरिये अप्रार्थी को तथाकथित रूप से खसरा नबर 24 में किये गए आवंटन को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है, जबकि प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए है, वे खसरा नम्बर 12 में हुए आवंटन के सम्बन्ध में है। रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 खण्ड I के अध्याय 4 के नियम 17 तथा खण्ड II के अध्याय 2 के नियम 30 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि जिस आदेश के विरूद्ध अपील या निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उस आदेश या डिक्री की प्रति प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। यदि इन नियमों की पालना नही की गई हो तो इसी अध्याय के नियम 46 के तहत आवेदन पत्र के निस्तारण के प्रावधान वर्णित है। हस्तगत प्रकरण में न तो उक्त आवंटन की प्रति प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की है, जिसके विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा न ही यह साबित करने में सफल रहे कि जिस आवंटन को लेकर प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, वह वास्तविक रूप से अप्रार्थी के नाम हुआ है अथवा नही ? इस प्रकार प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को साबित करने में असफल रहे है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख रेकर्ड शाखा को लौटाया जावे। इस निर्णय की प्रति तहसीलदार सोजत को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27/02/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली